जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

सिंचाई प्रमण्डल सहरसा

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या :–01/2026-27

क्रमांक	कार्य का नाम	स्थानीय अभिकर्त्ता के लिए संबंधित जिला	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्यसमाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	कोशी कॉलोनी सहरसा में 05 अदद E-Type आवास का आवश्यक मरम्मति कार्य।	सहरसा	1,92,000.00	4000.00	500.00	01 माह
2.	कोशी कॉलोनी सहरसा में 02 अदद D-Type एवं 04अदद I-Type आवास का आवश्यक मरम्मति कार्य।	सहरसा	2,26,000.00	4600.00	500.00	01 माह

2. निविदा आमंत्रित करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल सहरसा, संयुक्त कार्यालय भवन, कोशी कॉलोनी, सहरसा। ✆-8084422227 ✉:-eecanalsaharsa@gmail.com
3. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :– दिनांक 16.10.2026
4. निविदा प्रपत्र बिक्री तिथि एवं समय :– दिनांक 21.11.2026 से 24.11.2026 तक कार्यालय अवधि में।
5. निविदा जमा करने की तिथि एवं समय :– दिनांक 26.11.2026 को अपराह्न 3.00 बजे तक।
6. तकनीकी वीड खोलने की तिथि एवंसमय :– दिनांक 26.11.2026 को अपराह्न 3.30 बजे।
7. निविदा प्रपत्र बिक्री एवं प्राप्ति का स्थान :– (क) मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा। (ख) अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा। (ग) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, सहरसा।
8. निविदा प्राप्ति का स्थान :– क्रमांक 7 में वर्णित सभी कार्यालयों में।
9. वित्तीय बीड खुलने की तिथि एवंसमय :– सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्थल, तिथि एवं समय की सूचना बाद में दी जायेगी।

(ई0 पवन कुमार दास)
कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल सहरसा

PR- 014186 (WRD) 2026-27

विस्तृत जानकारी वेबसाइट//state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

शिक्षा मंत्री पहुंचे स्कूल, बच्चों से की बात

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सोमवार को गोपालगंज प्रवास के दौरान अपने पैतृक गांव डुमरिया के मिडिल स्कूल और दुबौली कन्या मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री ने कक्षा में जाकर बच्चों और शिक्षकों से बात की। इस दौरान वे कभी अभिभावक तो कभी गुरु की भूमिका में नजर आये। शिक्षा मंत्री ने बच्चों से उनकी पढ़ाई और विद्यालय से जुड़ी समस्याओं के बारे में पूछा। उनकी बातें ध्यान से सुनीं। श्री तिवारी ने करीब आधे घंटे तक दोनों विद्यालयों में घूम-घूमकर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उनका जोर इस बात पर रहा कि बच्चों को विद्यालय में पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल और जरूरी सुविधाएं मिलें। शिक्षा मंत्री का यह दौरा बच्चों की समस्याओं को करीब से समझने और विद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है।



पूटा चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए शंकर कुमार ने किया नामांकन

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। पटना विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (पुटा) के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए डॉ. शंकर कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया है।

साइंस कॉलेज के भौतिकी के ख्यातिप्राप्त शिक्षक डॉ. शंकर कुमार सिमुलतला राजकीय आवासीय विद्यालय के संस्थापक प्राचार्य एवं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलसचिव भी रह चुके हैं। डॉ. कुमार ने पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों से कहा है कि यह देखकर बहुत खुशी है कि पूटा संगठन के प्रति अपने दायित्व के निर्वहन के लिए नये साथी भी उत्साहित हैं।

सबों के सहयोग से हमलोग एक सशक्त, निर्भीक और जवाबदेह पूटा चुनकर अपना दायित्व पूरा करें। उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि चार नवंबर को, विशेष परिस्थिति को छोड़कर, सब अपना मतदान करें। कोई भी निराशा से मत न देने का कभी नहीं सोचें। 419 मतदाता हैं।

शिक्षा विभाग में अधिकारी- कर्मचारियों ने ली सत्यनिष्ठा की शपथ

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। राज्यव्यापी सतर्कता अभिचेतना सप्ताह के तहत सोमवार को विकास भवन स्थित शिक्षा विभाग के सभागार में पदाधिकारियों और कर्मचारियों को



सत्यनिष्ठा की शपथ दिलायी गयी। इस दौरान सभी ने न तो रिश्वत लेने और न ही देने की शपथ ली। साथ ही भ्रष्टाचार से जुड़ी किसी भी घटना की जानकारी संबंधित एजेंसी को देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन विजय कुमार पांडेय ने कहा कि भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और पारदर्शिता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत सोमवार से हुयी। यह एक नवंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना और ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

सूबे के सरकारी स्कूलों में एक से मध्याह्न भोजन बंद करेंगे शिक्षक

स्कूलों को छह माह से नहीं मिली मध्याह्न भोजन योजना की राशि

पटना (आशिप्र)। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों को बकाया का भुगतान नहीं होने पर शिक्षक एक नवंबर से मध्याह्न भोजन बंद करेंगे। यह लिखित चेतावनी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (जयराम शर्मा गुट) ने शिक्षा विभाग को दी है। उसमें कहा गया है कि अगर एक सप्ताह के अंदर बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ, तो राज्य भर के प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का संचालन स्थगित कर दिया जायेगा। पांच-छह माह से मध्याह्न भोजन योजना की राशि बकाया है। संघ ने पत्र में कहा है कि पूरे बिहार के शिक्षक इस विषम परिस्थिति में भी सहयोग करते हुए अबतक अपने पैसा से मध्याह्न भोजन योजना चला रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बर्दाश्त के बाहर हो गयी है। अभी तक किसी भी विद्यालय को खर्च की गई राशि नहीं मिली है और आगे के संचालन के लिए आवंटन भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे पहले भी एक अक्तूबर को संघ ने मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक को लिखित सूचना देकर बकाया राशि के भुगतान की मांग की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब संघ ने फिर से चेतावनी दी है। संघ के महासचिव दिनेश कुमार सिंह ने मध्याह्न भोजन योजना के संचालन के लिए एक सप्ताह में विद्यालयों को बकायों के भुगतान के साथ ही योजना के संचालन के लिए समय पर आवंटन दिया जाय।

विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर

पटना (आससे)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बी.एन. कॉलेजिएट, अशोक राजपथ, पटना, राम मोहन रॉय सेमिनरी हाई स्कूल+2, खजांची रोड पटना, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कुर्थौल, पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल, बड़ीपथ, पटना, राम लखन सिंह यादव स्कूल, पुनाईचक में पैन इंडिया जागरूकता कैंपेन, सुरक्षित बचपन अभियान के तहत् आयोजित किया गया।

बिहार सरकार

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ

–: अति अल्पकालीन सूचना :–

वजरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा– 56(घ) के अन्तर्गत अवैध रूप से देशी/विदेशी शराब का परिवहन एवं रख–रखाव/भंडारण करने के आरोप में विभिन्न थाना काण्डों में जब्त वाहनों एवं भवन/भू–खण्ड के विरूद्ध अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ किया गया है।

नव संशोधित नियमावली, 2022 के नियम–12(क) के निहित प्रावधानों के आधार पर नवीनतम बीमाकृत मुल्य की शास्ति (Penalty) की राशि जमा कर वाहनों को मुक्त करने का प्रावधान किया गया है, साथ ही नव संशोधित नियमावली, 2022 के नियम–12(ख) के निहित प्रावधानों के आधार पर शास्ति (Penalty) राशि जमा कर भवन/भू–खण्ड को मुक्त करने का प्रावधान किया गया है जिसके लिए कॉलम–06 में अंकित न्यायालय में **विज्ञापन प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर** उपस्थित होना निर्धारित है।

क्र0	अधिग्रहण वाद संख्या एवं वर्ष	थाना काण्ड संख्या	वाहन मालिक का नाम एवं पता	वाहन का प्रकार एवं निबंध संख्या	न्यायालय का नाम एवं सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6
1	अधिग्रहण उत्पाद वाद सं0 38/26–27	उत्पाद थाना काण्ड काण्ड सं0–169/2026, दिनांक–27.05.2026	सुरज कुमार, पिता–दामोदर शर्मा, साकिन–एल0सी0 रोड़ धनबाद, थाना–धनबाद, जिला–धनवाद, राज्य–झारखण्ड	अल्टो कार निबंधन संख्या JH10F-4331	कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहारशरीफ **विज्ञापन प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर**
2	अधिग्रहण उत्पाद वाद सं0 52/26–27	उत्पाद थाना काण्ड काण्ड सं0–287/2026, दिनांक–11.08.2026	मुकेश कुमार भारती, पिता–गोपाल भारीती, सा0–2642, बेमो साउड़ बेरमो, जिला–बोकारो, राज्य–झारखण्ड	Maruti Super Carry चार पहिया निबंधन संख्या JH09AY-5089	कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहारशरीफ **विज्ञापन प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर**

अतः सभी संबंधित उपरोक्त वर्णित वाहन स्वामियों को इस प्रेस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कॉलम–06 में अंकित न्यायालय/तिथि पर उपस्थित होकर अपने–अपने वाहन को विमुक्त कराना चाहते हैं तो प्रपत्र–IV में अपना आवेदन प्रस्तुत करें। उक्त निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने एवं प्रपत्र–IV में आवेदन प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में समझा जायेगा की आपको जप्त वाहन के विमुक्ति में कोई अभिरूची नहीं है, साथ ही उपरोक्त वर्णित भवन/भू–खण्ड स्वामियों को इस प्रेस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कॉलम–06 में अंकित न्यायालय में **15 दिनों के अन्दर** उपस्थित होकर अपने–अपने भवन/भू–खण्ड को विमुक्त कराना चाहते हैं तो प्रपत्र–V में अपना आवेदन प्रस्तुत करें। 15 दिनों के अन्दर उपस्थित नहीं होने एवं प्रपत्र–V में आवेदन प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में समझा जायेगा की आपको जप्त भवन/भू–खण्ड के विमुक्ति में कोई अभिरूची नहीं है। तत्पश्चात उक्त वाहन एवं भवन/भू–खण्ड को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–58(2) के अन्तर्गत राज्यहित में राजसात (Confiscate) करते हुए नीलामी की प्रक्रिया के तहत अधिग्रहित वाहनों एवं भवन/भू–खण्ड को नीलाम कर दिया जायेगा।

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा

PR. No. 014182 (Excise) 2026-27

उक्त सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

गर्भावस्था की पहली तिमाही में माँ की एच.आई.वी. और सिफलिस की जाँच जरूर करायें।

बिहार सरकार

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ

–: अति अल्पकालीन सूचना :–

वजरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा– 56(घ) के अन्तर्गत अवैध रूप से देशी/विदेशी शराब का परिवहन एवं रख–रखाव/भंडारण करने के आरोप में विभिन्न थाना काण्डों में जब्त वाहनों एवं भवन/भू–खण्ड के विरूद्ध अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ किया गया है।

नव संशोधित नियमावली, 2022 के नियम–12(क) के निहित प्रावधानों के आधार पर नवीनतम बीमाकृत मुल्य की शास्ति (Penalty) की राशि जमा कर वाहनों को मुक्त करने का प्रावधान किया गया है, साथ ही नव संशोधित नियमावली, 2022 के नियम–12(ख) के निहित प्रावधानों के आधार पर शास्ति (Penalty) राशि जमा कर भवन/भू–खण्ड को मुक्त करने का प्रावधान किया गया है जिसके लिए कॉलम–06 में अंकित न्यायालय में **विज्ञापन प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर** उपस्थित होना निर्धारित है।

क्र0	अधिग्रहण वाद संख्या एवं वर्ष	थाना काण्ड संख्या	वाहन मालिक का नाम एवं पता	वाहन का प्रकार एवं निबंध संख्या	न्यायालय का नाम एवं सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6
1	अधिग्रहण उत्पाद वाद सं0 55/26–27	उत्पाद थाना काण्ड सं0–249/2026 दिनांक 22.07.2026	राजेश कुमार, पिता–पप्पु प्रसाद, साकिन–डी0–104, साउथ गणेश पतपरगंज, थाना–दिल्ली, राज्य–दिल्ली	Hero splendor Ismart मोटरसाईकिल निबंधन DL5SBL-1470	कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहारशरीफ **विज्ञापन प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर**

अतः सभी संबंधित उपरोक्त वर्णित वाहन स्वामियों को इस प्रेस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कॉलम–06 में अंकित न्यायालय/तिथि पर उपस्थित होकर अपने–अपने वाहन को विमुक्त कराना चाहते हैं तो प्रपत्र–IV में अपना आवेदन प्रस्तुत करें। उक्त निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने एवं प्रपत्र–IV में आवेदन प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में समझा जायेगा की आपको जप्त वाहन के विमुक्ति में कोई अभिरूची नहीं है, साथ ही उपरोक्त वर्णित भवन/भू–खण्ड स्वामियों को इस प्रेस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कॉलम–06 में अंकित न्यायालय में **15 दिनों के अन्दर** उपस्थित होकर अपने–अपने भवन/भू–खण्ड को विमुक्त कराना चाहते हैं तो प्रपत्र–V में अपना आवेदन प्रस्तुत करें। 15 दिनों के अन्दर उपस्थित नहीं होने एवं प्रपत्र–V में आवेदन प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में समझा जायेगा की आपको जप्त भवन/भू–खण्ड के विमुक्ति में कोई अभिरूची नहीं है। तत्पश्चात उक्त वाहन एवं भवन/भू–खण्ड को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–58(2) के अन्तर्गत राज्यहित में राजसात (Confiscate) करते हुए नीलामी की प्रक्रिया के तहत अधिग्रहित वाहनों एवं भवन/भू–खण्ड को नीलाम कर दिया जायेगा।

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा

PR. No. 014180 (Excise) 2026-27

उक्त सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

गर्भावस्था की पहली तिमाही में माँ की एच.आई.वी. और सिफलिस की जाँच जरूर करायें।

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
न्यायालय, प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गया वन प्रमंडल,गया

अतिअल्पकालीन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गया वन प्रमंडल, गया के कर्मचारियों के द्वारा वन पदार्थो के अवैध परिवहन के जुर्म में नीचे लिखे वाहन एवं उसपर लदे वन पदार्थ को भारतीय वन (बिहार संशोधन) अधिनियम् 1989 की धारा–52 के तहत् वाहनों को जप्त कर सुरक्षित रखा गया है। जप्त वाहन एवं उस पर लदे वन पदार्थ के विरूद्ध राज्यसात की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। उक्त वाहन एवं अन्य से संबंधित कोई दावेदार उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना के एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल,गया के न्यायालय में अपना पक्ष स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि तक अपना पक्ष/दावा प्रस्तुत नही करने की स्थिति में जप्त वाहन एवं अन्य के विरूद्ध राज्यसात के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

क्र0 सं0	जप्ती की तिथि	प्रक्षेत्र का नाम	राज्यसात वाद संख्या	अभियुक्त का नाम	जप्त वाहन का विवरण	जप्त वन पदार्थ का विवरण
1	20.03.2026	गुरपा वन प्रक्षेत्र	35/26	अज्ञात	एक सवारी टेम्पू बिना निबंधन का, चेसिस न0– MCS3EBP21LAH24103	जंगली चिरान जलावन लकड़ी –10 मन
2	26.03.2026	गुरपा वन प्रक्षेत्र	37/26	अज्ञात	हिरो स्पलेण्डर मोटर साईकिल संख्या– BRO2BH/1818	महुआ फूल– 100 किलो ग्राम
3	30.07.2025	बाराचट्टी वन प्रक्षेत्र	48/25	अज्ञात	पैसनप्रो मोटरसाईकिल सं0– BRO2AF/5849	महुआ फूल– 80 किलो ग्राम
4	28.07.2026	गुरपा वन प्रक्षेत्र	60/26	अज्ञात	1. पैसनप्रो मोटरसाईकिल सं0– WB44A/7174 2. हिरो गलैम्बर मोटर साईकिल संख्या– BRO2AB/3064	महुआ फूल– 220 किलो ग्राम
5	14.09.2026	गुरपा वन प्रक्षेत्र।	73/26	अज्ञात	हिरो स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल संख्या– BR27S/2726	महुआ फूल– 200 किलो ग्राम
6	15.03.2026	गुरपा वन प्रक्षेत्र।	31/26	दिपेन्द्र यादव	लाल रंग का एच0एम0टी0 ट्रैक्टर HMT 30D89 एवं टेलर	चकुण्डी एवं पीपल बोटा–05 जलावन लकड़ी–08 मन
7	15.10.2025	गुरपा वन प्रक्षेत्र।	73/25	महेन्द्र साव	लाल रंग का महेन्द्रा ट्रैक्टर चेसिस न0– CO556238R3 एवं टेलर	चक्का–01 पीस, भैण्सॉ–01 पीस, ब्लेड –01 पीस, पुली–01 पीस, फीता–01 पीस, ताजा कुन्नी–30 किलो एवं साल बोटा–04 पीस

विस्तृत जानकारी **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

प्राधिकृत पदाधिकारी
–सह–
वन प्रमंडल पदाधिकारी
गया वन प्रमंडल,गया

PR. No. 014170 (Forest) 2026-27

नशामुक्त हो जाए बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार।

95	52/2022 27.12.2022	उत्पाद–	119/22	होन्डा सिटी कार	BR01AS-9007	Lt. No. 681 Sr. No. 25	1,50,000/-	79716	19929	अजीत कुमार, पिता–यदुनंदन प्रसाद, सा0–पूर्वी इन्द्रपुरी, पटना, थाना–इन्द्रपुरी जिला–पटना	
96	379/22	उत्पाद–	204/22	मारूती एस0 एक्स0 4 कार	BR-2K-9857	Lt. No. 681 Sr. No. 27	1,00,000/-	53144	13286	Smi. Renu Gupta W/O- Pramit Kumar Gupta, At- Dulhan Disianer Sari Showroom, K.P. Road P.S-Kotwali, Dist- Gaya (Bihar) Pin- 803001	
97	387/22	उत्पाद–	231/22	स्प्लेन्डर प्लस मोटरसाईकिल	BR02R-7464	Lt. No. 681 Sr. No. 28	6,000/-	3189	797	Gauri Shankar Yadav, S/O-jagdev Yadav, AT. - Baniya Barun, P.S. -Sherghati, Dist-Gaya(Bihar)	SCRAP
98	19/2024	उत्पाद थाना सदर	590/24 02.06.2024	मोटरसाईकिल	BR02BA-7215	Lt. No. 681 Sr. No. 29	24,000/-	12755	3189	शिव शंकर वर्मा, पिता–रामबली, सा0–बतसपुर, पोस्ट–बक्रौर, थाना–बोधगया, जिला–गया	
99	20/2024	उत्पाद थाना सदर	2071/23 02.12.2023	टेम्पु	BR02PA-0307	Lt. No. 681 Sr. No. 32	45,000/-	23915	5979	खेलावन यादव, पिता–कमलदेव यादव, ग्राम–लाहुरी, पोस्ट–बाराचट्टी, थाना–बाराचट्टी, जिला–गया बिहार पिन न0–824201	
100	78/2025	बांकेबाजार	67/24 22.06.2024	सेवरलेट बीट कार	JH-01BR-4240	Lt. No. 681 Sr. No. 9	1,30,000/-	69087	17272	प्रिंस कुमार वर्मा, पिता–रामदेव वर्मा, सा०–अरगोरा, थाना–रॉंची, जिला–गया, झारखण्ड को सुचनाथ्र प्रेषित।	
101	266/2024	बंकेबाजार	15/24	कार	JH10AZ-6061	Lt. No. 681 Sr. No. 12	1,30,000/-	69087	17272	सुभाष कुमार, पिता–जनेश्वर रिकियासन, ग्राम–बलियारी, थाना–आमस, जिला–गया	
102	40/2024	उत्पाद थाना सदर	276/24 23.02.2024	महेन्द्रा एक्स यु वी – 500	JH07L-2303	Lt. No. 681 Sr. No. 30	3,00,000/-	159432	39858	अजय कुमार, पिता–महेन्द्र साव, सा0–मनिकपुर अरवल, थाना–अरवल, जिला–अरवल, बिहार पिन न0–804421	
103	432/2024	रौशनगंज	55/24 20.03.2024	पैशन प्रो मोटरसाईकिल	JH-05AR-9442	Lt. No. 681 Sr. No. 18	8,000/-	4252	1063	मनोज कुमार विश्वकार्मा पिता–राघनंदन शर्मा सा0–पोस्ट ऑफिस रोड, एच न0–41 आदर्श कॉलनी जमदशेदपुर राज्या–झारखण्ड	
104	344/2024	बांकेबाजार	09/24 15.04.2024	सीडी डिलक्स मोटरसाईकिल	UP-65BB-5170	Lt. No. 681 Sr. No. 7	8,000/-	4252	1063	श्री शिव दयाल सिंह पिता–स्व0 विश्वनाथ सिंह पिता– s 15/4 B घौसावाद वाराणसी उत्तर प्रदेश	
105	515/24	रौशनगंज	262/23	मोटर साईकिल	CG07LW-1332	Lt. No. 681 Sr. No. 17	7,000/-	3720	930	संजय कुमार सिंह, पिता–देवसराज सिंह, सा०–कैम्प–1 वार्ड नं०–20 थाना–दुर्ग (छत्तीसगढ़)	
106	62/2024	उत्पाद (सदर)	282/24 25.02.2024	ग्लैमर मोटरसाईकिल	BR-21V-6478	Lt. No. 1987 Sr. No. 01	₹ 24,000	₹ 21,600	₹ 5,400	दीपु कुमार, पिता–भुवनेश्वर यादव, पता–गरई विगहा, पो0–लखावर, थाना–घासी, जिला–जहानाबाद, पिन न0–804434	
107	60/2024	उत्पाद (सदर)	285/24 26.02.2024	स्पलेन्डर मोटरसाईकिल	BR-31AH-4270	Lt. No. 1987 Sr. No. 02	₹ 21,000	₹ 18,900	₹ 4,725	नितीश कुमार, पिता–अशोक कुमार सिंह, पता–कलयाणपुर, पो0–बैजलपुर, थाना–सोनपुर, जिला–सारण, बिहार पिन न0–841101	
108	69/2024	उत्पाद (सदर)	1889/23 30.10.2023	बजाज पलेटीना मोटरसाईकिल	चेचिस नं० MD2DDD ZZZTPC73 796	Lt. No. 1987 Sr. No. 03	₹ 7,000	₹ 6,300	₹ 1,575	अज्ञात	
109	50/2024	उत्पाद (सदर)	292/24 27.02.2024	टाटा इंडिगो	JH-10Z-2829	Lt. No. 1987 Sr. No. 04	₹ 1,20,000	₹ 1,08,000	₹ 27,000	राजेश कुमार वधावन, पिता–सुरेश चंद्र वधावन, Flat no. A2A Vastu Vihar, BALIAPUR ROAD , NICHITPUR, DHANBAD JHARKHAND PIN-826001	
110	28/2024	उत्पाद थाना सदर	528/24 11.05.2024	कार	JH01AM-0710	Lt. No. 1987 Sr. No. 05	₹ 1,25,000	₹ 1,12,500	₹ 28,125	अंजु देवी, पति–सुनिल कुमार शर्मा, सा0–केयर ऑफ रितेश कुमार बुत, मो0 जिम खाना क्रलब के पिछे, थाना–रॉंची, जिला–रॉंची, झारखण्ड	
111	27/2024	उत्पाद थाना सदर	532/24 12.05.2024	टाटा इण्डिका	JH09U-2114	Lt. No. 1987 Sr. No. 06	₹ 81,000	₹ 72,900	₹ 18,225	संदीप कुमार, पिता–प्रदीप कुमार गुप्ता, सा0–शिवान मोड़, सेक्टर–8/सी बी एस. सिटी, जिला–बोकारो, झारखण्ड	
112	15/2024	उत्पाद थाना सदर	528/24 11.05.2024	मोटरसाईकिल	BR44F-3406	Lt. No. 1987 Sr. No. 07	₹ 16,000	₹ 14,400	₹ 3,600	शारदानंद मिश्रा, पिता–गौरीशंकर मिश्रा, सा0–बड़कागॉव मानसिंग पट्टी, थाना+जिला–बक्सर	
113	35/2024	उत्पाद थाना सदर	481/23 12.03.2023	मोटरसाईकिल	JH02A-7757	Lt. No. 1987 Sr. No. 10	₹ 9,000	₹ 8,100	₹ 2,025	क्शाहाबुद्दीन खान, पिता–रहिम खान, सा0–एच न0–37, केतरिवर, धनधारी, थाना–चतरा(झारखण्ड) पिन न0–825401	
114	33/2024	उत्पाद थाना सदर	2047/23 27.11.2023	स्विफट डिजायर	DL8CR-3077	Lt. No. 1987 Sr. No. 11	₹ 1,10,000	₹ 99,000	₹ 24,750	नादेश, पिता–राम अवतार, सा0–सी–45 पटेल ग्राडेन ककरोला, जिला–दिल्ली, न्यु दिल्ली पिन न0–119059	Scrap
115	27/2024	उत्पाद थाना सदर	1816/23 16.10.2023	मोटरसाईकिल	JH05AN-9550	Lt. No. 1987 Sr. No. 12	₹ 10,000	₹ 9,000	₹ 2,250	मदन मोहन, पिता–स्व0 राजदेव प्रसाद, सा–ग्राम+पो0– पारसुडिह, जमशेदपुर, राज्य–झारखण्ड,	
116	66/2024	उत्पाद थाना सदर	246/24 17.02.2024	हिरो स्पलेंडर मोटरसाईकिल	BR02Y-7310	Lt. No. 1987 Sr. No. 13	₹ 11,000	₹ 9,900	₹ 2,475	अनिश कुमार सिंह, पिता–कृष्णदेव सिंह, पता–शाहबाजपुर ऐरी, थाना–बेलागंज, जिला–गया, बिहार पिन न0–804404	
117	20/2025	उत्पाद सदर	208/25 23.02.2025	होन्डा साईन मोटरसाईकिल	BR-2N-4162	Lt. No. 1987 Sr. No. 14	₹ 7,000	₹ 6,300	₹ 1,575	रूपेश कुमार सिन्हा, पिता– एन०पी० सिन्हा, सा०–जनकपुर, मानपुर, थाना–मुफस्सिल, जिला–गया।	
118	06/2025	उत्पाद सदर	916/24 07.09.2024	होन्डा सी.डी. डीलक्स मोटरसाईकिल	Eng. No. 07C2ZE52 907	Lt. No. 1987 Sr. No. 151	₹ 5,000	₹ 4,500	₹ 1,125	अज्ञात	Scrap
119	17/2025	उत्पाद सदर	212/25 24.02.2025	मारूती स्वीफ्ट डिजायर कार	BR-02BM-7122	Lt. No. 1987 Sr. No. 16	₹ 5,15,000	₹ 4,63,500	₹ 1,15,875	धर्मेन्द्र कुमार, पिता–बलेश्वर चौधरी, सा०–छोटकी मठ, जहानाबाद, पो०–कोरमार, थाना–घोशी, जिला–जहनाबाद, पिन–804432	
120	08/2025	उत्पाद सदर	1310/24 07.12.2024	टेम्पू	JH-02AR-2677	Lt. No. 1987 Sr. No. 17	₹ 73,000	₹ 65,700	₹ 16,425	अज्ञात	
121	05/2025	उत्पाद सदर	225/24 28.02.2025	टाटा स मेजिक	चेचिस नं० MAT55905 35JA00161	Lt. No. 1987 Sr. No. 18	₹ 60,000	₹ 54,000	₹ 13,500	अज्ञात	Scrap
122	46/2023	उत्पाद वाद	1785/23	हीरो ग्लैमर मोटरसाईकिल	BR-02AS-1553	Lt. No. 1987 Sr. No. 19	₹ 27,000	₹ 24,300	₹ 6,075	अनुराधा कुमारी, पिता–नरेश कुमार, ग्राम–शहपुर, थाना–परैया, जिला–गया, पिन न0–824209	
123	33/2023	उत्पाद वाद	1429/23	मोटरसाईकिल	BR-02AC-8542	Lt. No. 1987 Sr. No. 21	₹ 12,000	₹ 10,800	₹ 2,700	अशोक पासवान, पिता–मोहन पासवान, ग्राम+पो0– कठौतिया केवाल, गुरपा, फतेहपुर	
124	59/2023	उत्पाद वाद	1708/23	हीरो स्पलेन्डर मोटरसाईकिल	BR-21Q-6766	Lt. No. 1987 Sr. No. 23	₹ 13,000	₹ 11,700	₹ 2,925	सुजीत कुमार, पिता–लाविन्द्र सिंह, ग्राम+पो0–कोबील, थाना–इस्लामपुर, जिला–नालंदा, पिन न0–801303	
125	52/2023	उत्पाद वाद	1277/23	पैशन प्रो मोटरसाईकिल	DL-6SAG-2964	Lt. No. 1987 Sr. No. 25	₹ 5,000	₹ 4,500	₹ 1,125	लोक पासवान, घर नं0–16/205 एच गली न0–05 ग्राम–आयर्द्य समाज रोड, थाना–पाना नगर, करोल बाग, जिला–न्यु दिल्ली, पिन न0–11005	Scrap
126	61/2023	उत्पाद वाद	1839/23	सुपर स्पलेन्डर मोटरसाईकिल	JH-05BK-1041	Lt. No. 1987 Sr. No. 26	₹ 16,000	₹ 14,400	₹ 3,600	गोविन्द नाथ, पिता–रायचरण नाथ, ग्राम–बारावधाल धर न0–06, पो0–रासुनचोपा, थाना–कोब, पूर्वी सिंधभुम, झारखण्ड	
127	08/2025	उत्पाद (सदर)	1050/2024 07-10-2024	टाटा ऐसी मैजीक	BR-02GD-4092	Lt. No. 1987 Sr. No. 27	₹ 4,53,000	₹ 4,07,700	₹ 1,01,925	अजय कुमार, पिता–महेन्द्र साव, पता–मानीकपुर, थाना–कुर्था, जिला–अरवल, बिहार, पिन–804421	
128	13/2025-26	उत्पाद (सदर)	431/2025 25-04-2025	मोटरसाईकिल	BR02BH-7015	Lt. No. 1987 Sr. No. 28	₹ 44,500	₹ 40,050	₹ 10,012	पुजा देवी, पति सिकन्दर मांझी, निवासी ग्रमा–बेलाडीह, पो0+थाना–चेरकी, जिला–गयाजी, पिनकोड–824237	
129	02/2025-26	उत्पाद (सदर)	323/2025 24-03-2025	मोटरसाईकिल	BR21Q-4195	Lt. No. 1987 Sr. No. 29	₹ 18,000	₹ 16,200	₹ 4,050	रंजीत कुमार, पिता –स्व0 विजय राम, निवासी ग्राम+पो0–पावा, दिपनारा, थाना–बिहार, जिला–नालन्दा, बिहार	
130	12/2025-26	उत्पाद (सदर)	281/2025 11-03-2025	मोटरसाईकिल	BR01FN-4559	Lt. No. 1987 Sr. No. 30	₹ 34,500	₹ 31,050	₹ 7,762	शंकर कुमार, पिता–संजुराम, निवासी–विमन्नु, बिग्रहपुर, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना, बिहार	
131	111/2024	उत्पाद (सदर)	1353/2024 17-12-2024	ई–रिक्सा	BR02PC-0580	Lt. No. 1987 Sr. No. 31	₹ 1,83,955	₹ 1,65,560	₹ 41,390	राकेश कुमार, पिता–प्रहलाद खैधरी, निवासी ग्राम–कुर्कीहार, थाना–वजीरगंज, जिला–गयाजी, पिनकोड–805131	
132	108/2024	उत्पाद (सदर)	1046/2024 06-10-2024	वाहन महिन्द्र बोलेरो पिक	BR-29GB-1739	Lt. No. 1987 Sr. No. 32	₹ 3,66,500	₹ 3,29,850	₹ 82,463	रंजीत कुमार, पिता –रामबली राय, निवासी मोहल्ला–वार्ड नं0–03,थाना–रतवारा बिन्दवारा, लि–मुजफ्फरपुर, पिनकोड–843312	

नोटः– अधिसूचना ज्ञापांक–2146 का शेष बचे क्रमांक 01 से 105 तक एवं अधिसूचना ज्ञापांक–2147 का शेष बचे क्रमांक 106 से 132 तक।
विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

उप विकास आयुक्त,
गया।

PR- 014212 (Excise) 2026-27